राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.7(30)कृषि / ग्रुप–2 / 2004 जयपुर, दिनांक 15 MAR 2017

आदेश

राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित फल सब्जी एवं फूल निर्यात प्रोत्साहन योजना 2016–17 राज्य में तुरन्त प्रभाव से लागू की जाती हैं। यह योजना 31 मार्च 2018 तक प्रभावी रहेगीं। योजना का संचालन राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किया जायेगा। व्यक्ति, संस्था, फर्म, एवं कम्पनी जिनके पास आई.ई. कोड (आयात निर्यात लाईसेंस) हैं अनुदान के पात्र होगें। योजनान्तर्गत सामान्य एवं जैविक रूप से राज्य में उत्पादित सभी प्रकार के फल सब्जी एवं फूलों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के उददेश्य से निर्यातकों को निम्न प्रकार अनुदान देय होगा।

अ. हवाई मार्ग द्वारा निर्यात करने पर :–

राज्य में उत्पादित सभी प्रकार के सामान्य रूप से उत्पादित फल सब्जी एवं फूलों को राज्य की मंडियों / कृषकों से सीधा क्रय कर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर से अथवा देश के किसी भी नजदीकी हवाई अड्डे से निर्यात करने पर एफ.ओ.बी. का 20 प्रतिशत या 4.50 रूपया प्रतिकिलो जो भी कम हो एवं जैविक रूप से उत्पादित एवं प्रमाणित फल सब्जी एवं फूलों को निर्यात करने पर एफ.ओ.वी. का 25 प्रतिशत या 6.0 रूपया प्रतिकिलो जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

ब. समुद्री मार्ग द्वारा निर्यात करने पर :–

राज्य में सामान्य रूप से उत्पादित सभी प्रकार के फल सब्जी एवं फूलों को उपरोक्तानुसार क्रय कर देश के किसी भी नजदीकी समुद्री बन्दरगाह तक रेल / ट्रक से परिवहन करने पर भाडे का 25 प्रतिशत एवं रेफ्रीजरेट्रेड कन्टेनर से परिवहन करने पर सतही भाडे का 30 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपया प्रति टन जो भी कम हो, एवं देश के बन्दरगाह से आयातक देश के बन्दरगाह तक समुद्री मार्ग से परिवहन करने पर भाडे का 30 प्रतिशत अधिकतम 500 रूपया प्रति टन जो भी कम हो, एवं जैविक रूप से उत्पादित फल सब्जी एवं फूलों को उपरोक्तानुसार क्रय कर निर्यात करने पर सतही भाडे का अधिकतम रूपया 800 प्रति टन एवं समुद्री मार्ग से परिवहन करने पर भाडे का अधिकतम रूपया 800 प्रति टन जो भी कम हो अनुदान देय होगा।

सामान्य व जैविक रूप से उत्पादित फल सब्जी एवं फूलों कों हवाई मार्ग व समुद्री मार्ग से निर्यात करने पर अधिकतम क्रमशः 10 लाख रूपये एवं 15 लाख रूपये की सीमा में प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष अधिकतम 3 वर्ष तक अनुदान देय होगा।

एक ही निर्यातक द्वारा राज्य में सामान्य व जैविक रूप से उत्पादित फल सब्जी एवं फूलों को हवाई व समुद्री मार्ग दोनों से निर्यात करने पर प्रति निर्यातक प्रतिवर्ष कुल राशि रूपये 15 लाख से अधिक अनुदान देय नहीं होगा।

पंजीकरण :–

इच्छुक निर्यातकों को बोर्ड कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा जिसके लिए निर्धारित प्रपत्र में स्वंय की पासपोर्ट साईज फोटो सहित सचिव, बोर्ड को निम्न दस्तावेजों के साथ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना होगा।

1. कृषि उपज मण्डी समिति फल सब्जी / अनाज (जहां फल सब्जी मण्डी नहीं है) का अनुज्ञा पत्र की प्रति।
2. पहचान पत्र।
3. बैंक अकाउन्ट नम्बर की प्रति।
4. आई.ई.कोड (आयात–निर्यात लाईसेंस) की स्व प्रमाणित प्रति।

अनुदान दावों के भुगतान की प्रक्रिया :–